सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 383 राँची, बुधवार, 17 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

22 सितम्बर, 2017

ज्ञापांक- 3864--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल राज्य के राजकीय मूक बधिर एवं नेत्रहीन विशेष विद्यालयों तथा विशेष विद्यालय (मानसिक मंदता) के शिक्षकों की भर्ती एवं सेवाशर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित संवर्ग नियमावली बनाते है:-

झारखण्ड राजकीय विशेष विद्यालय शिक्षक सम्वर्ग नियमावली, **2017**

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

(1) यह नियमावली झारखण्ड, राजकीय विशेष विद्यालय शिक्षक सम्वर्ग नियमावली-2017 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित विशेष मध्य एवं उच्च विद्यालयों में होगा।

(3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ:- जब तक कोई बात ,विषय या प्रसंग के विरुद्ध नहीं हो, इस नियमावली में -

(i) "सम्वर्ग" से अभिप्रेत है, विशेष मध्य एवं उच्च विद्यालयों के सहायक शिक्षक

(ii) "आयोग" से अभिप्रेत है. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

(iii) नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, निदेशक, समाज कल्याण, निदेशालय, झारखण्ड, राँची।

(iv) "सरकार" से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकार,

(v) "विभाग" से अभिप्रेत है, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,

(vi) "विशेष मध्य विद्यालय" से अभिप्रेत है, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालय, जहाँ वर्तमान में कक्षा आठ तक की शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है एवं मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चों का विद्यालय जो सरकार द्वारा कालांतर में खोला जाएगा।

(vii) "विशेष उच्च विद्यालय" से अभिप्रेत है, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित मूक बधिर/नेत्रहीन विद्यालय/मंदबुद्धि बच्चों का विद्यालय जहाँ वर्तमान में कक्षा दस तक की शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है अथवा विभाग द्वारा कालांतर में संचालित की जाएगी।

(viii) "सहायक शिक्षक" से अभिप्रेत है, विशेष मध्य / उच्च विद्यालयों में नियुक्त सहायक शिक्षक,

(ix) "सहायक प्रधानाध्यापक" से अभिप्रेत है, विशेष मध्य / उच्च विद्यालयों में नियुक्त सहायक प्रधानाध्यापक,

(x) "प्रधानाध्यापक" से अभिप्रेत है, विशेष मध्य / उच्च विद्यालयों में नियुक्त प्रधानाध्यापक,

(xi) "अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति" से अभिप्रेत है, सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की संगत परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

(xii) "संविदा" से अभिप्रेत है विशेष विद्यालयों में रिक्ति के विरूद्ध अस्थायी विशेष शिक्षकों, कम्प्यूटर प्रशिक्षक एवं अन्य तृतीय/चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी।

3. संवर्ग का गठन एवं पदों का वर्गीकरण:-

1. इस नियमावली के निम्नलिखित पदों पर नियमित रुप से विभिन्न ग्रेड में पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में शामिल होगें।

क्र०	**विशेष मध्य विद्यालय**	**विशेष उच्च विद्यालय**
1	सहायक शिक्षक (मूल कोटि का पद)	सहायक शिक्षक (मूल कोटि का पद)
2	प्रधानाध्यापक (नियमित अथवा प्रोन्नति के आधार पर)	प्रधानाध्यापक (नियमित नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के आधार पर)

2. उपर्युक्त पदों का वेतनमान निम्नानुसार है -

क्र० सं०	**पदनाम**	**वेतनमान**	**ग्रेड-पे**
(राजकीय विशेष मध्य नेत्रहीन विद्यालय)			
1	सहायक शिक्षक (मूल कोटि का पद)	PB II-9300-34800	4200
2	प्रधानाध्यापक (नियमित नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के आधार पर)	PB II-9300-34800	4600

(राजकीय विशेष मूकवधिर मध्य विद्यालय)			
1	सहायक शिक्षक (मूल कोटि का पद)	PB II-9300-34800	4200
2	प्रधानाध्यापक (नियमित नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के आधार पर)	PB II-9300-34800	4600
(विशेष उच्च विद्यालय)			
1	सहायक शिक्षक (मूल कोटि का पद)	PB II-9300-34800	4200
2	प्रधानाध्यापक (नियमित नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के आधार पर)	PBII-1560039100	5400

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विशेष शिक्षक प्राथमिक / मध्य / उच्च विद्यालय की नियमित नियुक्ति हेतु निम्नांकित समेकित प्रश्न पत्र के आलोक में जांच परीक्षा ली जाएगीः-

क्र० सं०	**विषय**	**बहु विकल्पीय प्रश्न**
1	विकलांगता का परिचय	40
2	शिक्षा मनोविज्ञान	15
3	सामान्य ज्ञान	15
4	अंग्रजी	15
5	हिन्दी	15
	कुलः-	100

4. **भर्ती (1) -** नियम -3 में वर्णित मूल कोटि के सभी पद सीधी भर्ती से अहर्ता प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे। प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिये संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्षों के सरकारी/अनुदानित/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ाने का अनुभव एवं प्रोन्नति के आधार पर प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिये नियमावली में वर्णित प्रावधानों के आलोक में सक्षम विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा तय मानदंडों पर किया जायेगा। इस नियमावली के अंतर्गत राजकीय विशेष मध्य नेत्रहीन विद्यालय, राजकीय विशेष मूक-बधिर विद्यालय एवं विशेष उच्च विद्यालय के लिए शिक्षक एवं छात्र का अनुपात RTE ACT 2009 के प्रावधान के अनुसार 1:10 का होगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी के आधार पर कोटिवार रिक्तियों की गणना करेंगे और आयोग को अधियाचना भेजेंगे।

(3) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधा सूची अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध रहेगी।

(4) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर तीन वर्षों के लिए की जायेगी।

(5) नियुक्ति एवं नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, समाज कल्याण, निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे।

5. **प्रोन्नति**- सहायक शिक्षक, वरीयता सह योग्यता के आधार पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित कालावधि पूरी करने पर, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर, उच्चतर पदों पर प्रोन्नत किए जा सकेंगे।

6.(क) **विभागीय प्रोन्नति समिति-** विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन प्रधान सचिव / सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रोन्नति समिति का गठन निम्नवत् होगा:-

i.	निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची	:-	अध्यक्ष
ii.	उप सचिव या उनसे उच्च स्तर के पदाधिकारी, महिलाबाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची	:-	सदस्य
iii.	सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति (कार्मिक विभाग द्वारामनोनित)	:-	सदस्य
iv.	सहायक निदेशक, (विषय के प्रभारी)	:-	सदस्य सचिव

7 . **अर्हताएँ** - नियुक्ति हेतु निम्नलिखित अर्हताएँ होगी।

(क) विशेष मध्य विद्यालय (नेत्रहीन / मूक-बधिर/मानसिक मंदता) के लिये न्यूनतम 12 (इन्टर) पास तथा विशेष शिक्षा में भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त दो वर्षीय डिप्लोमा (D.Ed Special in HI/ D.Ed Special in VI/ D.Ed Special in MR) श्रवण बाधित / दृष्टिबाधित/मानसिक मंदता।

(ख) विशेष उच्च विद्यालय (नेत्रहीन / मूक-बधिर / मानसिक मंदता) के लिये न्यूनतम स्नातक पास तथा विशेष शिक्षा में भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नांकित प्रमाण पत्र धारक योग्य होंगे

1. बी०एड (विशेष शिक्षा) के साथ स्नातक
   (Graduate with B.Ed (Special Education)
2. विशेष शिक्षा में एक साल के डिप्लोमा के साथ बी०एड (सामान्य)
   (B.Ed (General) with one year Diploma in Special Education)
3. विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा के साथ बी०एड (सामान्य)
   (B.Ed (General) with two year Diploma in Special Education)
4. विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यवयासिक डिप्लोमा (पीजीपीडी) के साथ बी०ए (सामान्य)
   (B.Ed (General) with Post Graduate Professional Diploma in Special Education (PGPD)
5. बी०एड विशेष शिक्षा और विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक प्रमाण पत्र (पीजीपीसी)
   (B.Ed Special Education and Post Graduate Professional Certificate in Special Education (PGPC)

6. विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (मानसिक मंदता)
(PG Diploma in Special Education (Mental Retardation)
7. विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एकाधिक विकलांगता शारीरिक और तंत्रिका विज्ञान)
(PG Diploma in Special Education (Multiple Disability :Physical &Neurolgical)
8. विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (चलन बाधित एवं सेरेब्रल पाल्सी)
(PG Diploma in Special Education (Locomotor Impairment and Cerebral Palsy)
9. माध्यमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (दृष्टिबाधित)
(Secondary level Teacher Training Course in Visual Impairment)
10. मूक दिव्यांग के लिये वरीय डिप्लोमा
Senior Diploma in Teaching the Deaf
11. दृष्टिबाधित में बी०ए० एवं बी०एड
(BA B.Ed in Visual Impairment)

Any other equivalent qualification approved by RCI

(ग) भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित (नेत्रहीन /मूक-बधिर/मानसिक मंदता) में दो वर्षीय डिप्लोमा/डिग्री आवश्यक।

(घ) जिस कोटि के विद्यालय के लिये रिक्ति होगी उसी कोटि के डिग्री / डिप्लोमा धारक आवेदन के योग्य माने जायेंगे।

(ङ) सरकार अथवा सरकार द्वारा अनुदानित नेत्रहीन / मूक बधिर विद्यालय अन्य विशेष में न्यूनतम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव।

(च) भारतीय पुनर्वास परिषद से निबंधित।

8. **आरक्षण** :भर्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्यस्तरीय आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

9. **आयु-** सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के 01 अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होगी एवं अधिकतम आयु सीमा यही होगी जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प के आलोक में सभी वर्गों के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयुसीमा में 05 वर्षों की छुट दीजायेगी। सरकारी अथवा सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत विशेष शिक्षक भी नियमानुसार आवेदन दे सकते है परन्तु उनकी अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष होगी।

10. **परिविक्षा-** प्रत्येक भर्ती तीन वर्षों के लिए परिविक्षा पर होगी और विशेष परिस्थियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा यदि परिविक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पायी जाय तो अवधि विस्तार केवल अगले एक वर्ष के लिए तभी किया जायगा, जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में, परिविक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती हो तो संबंधित कर्मी को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

11. **सम्पुष्टि-** परिविक्षाधीन कर्मी की परिविक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति के बाद, सेवा समपुष्ट किया जायेगा। परिविक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक है या नहीं, संबंधित विशेष विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिवेदित किया जायगा, जिसकी समीक्षा संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा. जिसके आधार पर निदेशक, समाज कल्याण, निदेशालय द्वारा सम्पुष्टि किया जायेगा।

12. **वरीयता-** अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होगें, जो संबंधित भर्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये है।

13. **वेतन-** विभिन्न कोटि के पदों के वेतनमान वही होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किया जायेगा या सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित समकक्ष वेतनमान के अनुसार होंगे। किसी भी वेतनमान में किसी शिक्षक का वेतन का निर्धारण सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

14. **छुट्टी-** झारखण्ड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में अनुमान्य छुट्टी के प्रावधान विशेष विद्यालयों में भी लागू होगें।

15. **अवशिष्ट मामले-** ऐसे मामलों के संबंध में, जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रुप से आच्छादित न हो. सम्वर्गो के सदस्य राज्य सरकार समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

16. **कठिनाई का निराकरण -**राज्य सरकार ऐसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो और कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक एवं समीचीन हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेंगी।

17. **अनुशासनिक कार्रवाई-** बिहार एवं उड़िसा अवर सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1935 के प्रावधान के साथ-साथ असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के प्रावधान भी लागू होंगे।

18. **निरसन एवं व्यावृति -**(1) शिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवाशर्तों से संबंधित सभी पूर्व आदेश एवं परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व आदेश एवं परिपत्र के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायगी मानो यह नियमावली उस दिनप्रवृत थी जब वैसा कुछ किया गया था वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मुखमीत सिंहभाटिया,
सरकार के प्रधान सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 383 - 50